उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-13/2017-18

भवानी देवी

बनाम्

परिजात कुमार श्रीवास्तव

-: आदेश :-

दिनांक		
03/11/17	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता भवानी देवी पति जीवन झा सा0-साकेतपुरी गोड्डा थाना-गोड्डा नगर जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0 ई0 आर0 केश नं0-114/2012-13 आदेश-4.02.2017 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0 ई0 आर0 केश नं0-114/2012-13 आदेश दिनांक-04.02.2017 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्ता को मौजा गोढ़ीमाल जमाबंदी सं0-50 दाग नं0-49 रकवा 00-03-00 धुर जमीन से उच्छेद किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी के द्वारा दिये गये आवेदन में उत्तरवादी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मौजा गोढ़ीमाल के जमाबंदी सं0-50 दाग नं0-49 रकवा 00-01-00 धुर जमीन अपीलकर्त्ता को वासोवास के लिए दिया था। लेकिन उत्तरवादी का आरोप है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा उससे अधिक जमीन रकवा 00-03-00 धूर जमीन अतिक्रमण कर लिया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज को वर्ष 1935 ई0 में उक्त जमीन कुर्फा से प्राप्त हुआ है एवं उत्तरवादी के सहमति से ही अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त दाग नं0-49 की जमीन पर मकान का निर्माण किया गया। उत्तरवादी के सहमति के बिना उक्त जमीन पर मकान का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए उत्तरवादी का कथन बिल्कुल ही निराधार है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता कुर्फा बंदोवस्ती के आधार पर दखलकार है एवं उक्त जमीन पर निर्मित मकान पर अपीलकर्त्ता सपरिवार वर्षों पूर्व से निवास करते आ रहे है। उत्तरवादी के द्वारा भी शपथ पत्र दिया है कि अपीलकर्त्ता कुर्फा बंदोवस्ती के आधार पर मकान बनाकर निवास कर रहे है। उनका आगे यह भी कथन है	

कि उक्त जमीन का स्वरूप कृषि योग्य नहीं है। बल्कि उक्त जमीन का स्वरूप बसौड़ी योग्य हो गया है और मकान वाली जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागू नहीं हो सकता है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह सत्य है कि उत्तरवादी के द्वारा मौजा गोढ़ीमाल के जमाबंदी सं0–50 के दाग नं0–49 में से रकवा 00–01–00 धुर जमीन अपीलकर्त्ता को मकान बनाने के उद्धेश्य से दिया गया है एवं उत्तरवादी को उक्त एक कट्ठा जमीन पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समस्या तब आया, जब अपीलकर्त्ता ने अपीलवादगत रकवा–00–03–00 धुर जमीन को जबरन कब्जा कर लिया। इसलिए उत्तरवादी ने उक्त जमाबंदी सं0–50 दाग नं0–49 रकवा 00–03–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में वाद दायर किया है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता के द्वारा वैध कागजात नहीं दिखा सका। इसलिए निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–928/रा0 दिनांक–15.10.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–गोढ़ीमाल थाना नं0–503 अन्तर्गत जमाबंदी नं0–50 कुल रकवा 01–13–06 धुर जमीन गत सर्वे पर्चा एवं पंजी–2 में महादेव प्रसाद मजुमदार के नाम से अंकित है। वर्णित जमीन दाग सं0–49 के अंदर रकवा 00–03–00 धुर जमीन पर भवानी देवी का चहार दिवारी के साथ दखल कब्जा है। परिजात कुमार श्रीवास्तव जमाबंदी रैयत के नाती है। जबकि भवानी देवी का जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य प्राप्त है। विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि मौजा गोढ़ीमाल के जमाबंदी नं0 50 गत सर्वे सेटलमेंट में महादेव प्रसाद मजुमदार के नाम से दर्ज पाया गया है। जमाबंदी रैयत महादेव प्रसाद मजुमदार को एक मात्र पुत्री रानीवाला देवी हुई रानीवाला देवी की शादी जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव से हुई। उत्तरवादी

रानीवाला देवी का पुत्र है, जिन्होंने शपथपत्र सं0 217, दिनांक 28.06.2007 के द्वारा अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन पर वसोवास करने हेतु बिक्री किये जाने का उल्लेख है। अपीलकर्त्ता वाद गत जमीन पर सपरिवार वसोवास कर रहे है जिसपर आवासीय मकान अपीलकर्त्ता का बना हुआ है। यह स्पष्ट है कि जमाबंदी रैयत के सहमति के बिना जमीन पर मकान का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा दिनांक–04.02.2017 को संथाल परगना काश्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया है। जो मान्य है। लेकिन जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा वसोवास करने हेतु जमीन का शपथपत्र के माध्यम से दिया गया है। जिसमें जमीन के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में 2,51,000/–रु0 भवानी देवी से उत्तरवादी ने भुगतान पाया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा गोढ़ीमाल जमाबंदी सं0–50 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में महादेव प्रसाद मजुमदार वल्द प्रशन कुमार मजुमदार के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त जमाबंदी के दाग नं0–49 रकवा 00–03–00 धुर जमीन कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया है एवं उत्तरवादी ने शपथ पत्र के द्वारा स्वीकार किया है कि अपीलकर्त्ता वर्ष 1935 ई0 में उक्त जमीन कुर्फा से प्राप्त किया है एवं कुर्फा के आधार पर प्राप्त जमीन पर मकान बना कर निवास कर रही है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का चहार दिवारी के साथ दखल कब्जा है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता को उच्छेद करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0 ई0 आर0 केश नं0–114/2012–13 आदेश दिनांक–4.07.2017 को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:48:41 +05:30
Location: 192.168.29.8